


# DON'T FALL VICTIM TO FRAUDULENT SOCIETIES/COMPANIES/DEVELOPERS IN THE NAME OF LAND POOLING POLICY


## CAUTION !!!

Some Societies/Companies/  
Developers (promoters)  
are floating misleading  
advertisements about  
attractive housing schemes  
using the name of DDA's Land  
Policy and charging  
registration money for  
booking of plots/flats.



 As on date, DDA has not issued any approval/  
license to any housing project under Land Policy.




 It is illegal to advertise any plots/flats in any project  
without registration/approval of the project under  
Real Estate Regulatory Authority Act-2016.


**RERA**

Before investing, check the status of any approved projects  
on official website of RERA



 Before investing, check details of layout plan approvals,  
Provisional & Final Development License issued to  
promoter, if any, by DDA.



 Any person aggrieved by such offers may contact/file  
complaint against promoter with Economic Offences Wing,  
Police Station Complex, Mandir Marg, New Delhi.  
(E-mail to EOW, Delhi Police at: [dcp-eow-dl@nic.in](mailto:dcp-eow-dl@nic.in))



**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**

Visit DDA's Website • [www.dda.org.in](http://www.dda.org.in) and Click on relevant icon in Online Public Service  
or Dial Toll Free No. 1800-110332

Follow us on  @ddaofficial  @official\_dda


Please refer to <https://online.dda.org.in/landpooling/AppForm/Default.aspx> for further details.

# भूमि नीति के नाम पर बर्नीं फर्जी सोसाइटी/कम्पनी/डेवलपर के शिकार न बर्नें


## सावधान रहें!!!

कुछ सोसाइटी/कम्पनी/  
डेवलपर (प्रमोटर) डीडीए की  
भूमि नीति के नाम पर आकर्षक  
आवास योजनाओं के बारे में  
भ्रामक विज्ञापन दे रहे हैं और  
भूखंड/प्लैटों की बुकिंग के लिए  
पंजीकरण राशि वसूल रहे हैं।



 अभी तक डीडीए ने भूमि नीति के तहत किसी आवासीय परियोजना को  
किसी तरह का कोई अनुमोदन/लाइसेंस जारी नहीं किया है।




 रियल एस्टेट रेगुलेटरी एथॉरिटी अधिनियम-2016 के तहत परियोजना के  
अनुमोदन/लाइसेंस के बिना किसी भी परियोजना में भूखंड/प्लैट के लिए  
प्रकाशित किए गए विज्ञापन गैर कानूनी हैं।


**RERA**

निवेश करने से पहले रेरा (RERA) की आधिकारिक वेबसाइट पर  
अनुमोदित परियोजनाओं की स्थिति जांच लें।



 निवेश करने से पहले डीडीए द्वारा प्रमोटर को जारी किया हुआ लेआउट  
प्लान का अनुमोदन, अनंतिम और अंतिम विकास लाइसेंस का विवरण  
जांच लें, यदि कोई हो।



 ऐसे प्रस्तावों का शिकार होने पर व्यक्ति प्रमोटर के खिलाफ आर्थिक अपराध  
शाखा, पुलिस स्टेशन कॉम्प्लेक्स, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली में शिकायत दर्ज  
करा सकता है। (आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस को ई-मेल लिखें  
[dcp-eow-dl@nic.in](mailto:dcp-eow-dl@nic.in))



**दिल्ली विकास प्राधिकरण**

दि.वि.प्रा की वेबसाइट [www.dda.org.in](http://www.dda.org.in) पर जाएं और ऑनलाइन सार्वजनिक सेवाओं में प्रारंभिक  
ऑनलाइन पर क्लिक करें या टोल फ्री नं.: 1800110332 डायल करें

Follow us on  @ddaofficial  @official\_dda पर हमें फॉलो करें

अधिक जानकारी हेतु कृपया <https://online.dda.org.in/landpooling/AppForm/Default.aspx> देखें